



क्रमांक/ R449 /2018

छतरपुर, दिनांक : 28/09/2018

## आदेश

म०प्र० शासन, उच्चशिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-6/2017/368-3 भोपाल, दिनांक 12/09/2018 द्वारा विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति हेतु समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर दिनांक 25/09/2018 को पैनल के सदस्यों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रो० कृपाशंकर तिवारी 12, सौम्या एन्क्लेव (एक्सटेंशन) कोलार रोड, चूना भट्टी भोपाल (म०प्र०) को विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों के निराकरण के लिए अंशकालिक अधिकारी के रूप में तीन वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो लोकपाल (Ombusman) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उन्हें म०प्र० शासन द्वारा म०प्र० के विश्वविद्यालयों में लोकपाल के पद पर पदस्थगी के लिए निर्धारित यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति एवं प्रतिदिन सुनवाई के लिए रुपये 3000/- रुपये नियमानुसार शुल्क देय होगा

आदेशानुसार,

कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक/ R450/2018

छतरपुर, दिनांक : 28/09/2018

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल जी के सचिव महोदय, राजभवन, भोपाल
2. आयुक्त महोदय, म०प्र० शासन, उच्चशिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म०प्र० शासन, उच्चशिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, सागर संभाग, सागर
5. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)
6. प्रो० कृपाशंकर तिवारी 12, सौम्या एन्क्लेव (एक्सटेंशन) कोलार रोड, चूना भट्टी भोपाल
7. उपसंचालक संचालक, जनसंपर्क, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं लोकप्रिय समाचार पत्रों में सूचना के रूप में प्रकाशित करने बावत।

कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय  
छतरपुर (म०प्र०)